भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.12.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 231 का उत्तर

वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में रियायत

*231. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्री सु. वेंकटेशन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार और जिला-वार, विशेषत: आंध्र प्रदेश और उसके प्रकाशम जिले से भारतीय रेल से यात्रा कर चुके वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए रेलगाड़ियों में तथा स्टेशनों पर की गई व्यवस्थाओं और इसके लिए आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश भर में भारतीय रेल से यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए संबंधी रियायतें पुनः शुरू करने पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी रियायतों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा और प्रदान की जाने वाली रियायतों की राशि का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान, रेलगाड़ी के किराए में वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त रियायतें वापस लिए जाने से रेलवे को वर्ष-वार कुल कितनी राशि की बचत हुई?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 11.12.2024 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 231 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक) के दौरान, आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणियों में सभी आयु वर्ग के लगभग 2230.7 करोड़ यात्रियों (वरिष्ठ नागरिकों सहित) ने यात्रा की।

भारतीय रेल वरिष्ठ नागरिकों सहित यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वरिष्ठ नागरिकों को मुहैया कराई जाने वाली कुछ सुविधाएं निम्नानुसार हैं -

i. **वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को उपलब्धता के अध्यधीन कोई विकल्प न दिए जाने पर भी स्वत ही निचली बर्थ का आबंटन।**

ii. **वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी में प्रति सवारी डिब्बे छह से सात निचली बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर (3एसी) प्रत्येक सवारी डिब्बे में चार से पांच निचली बर्थ और वातानुकूलित 2 टियर (2एसी) श्रेणियों (गाड़ी में उस श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या के आधार पर) में प्रति सवारी डिब्बे में तीन से चार निचली बर्थ का संयुक्त कोटा निर्धारित करना।**

iii. **क्षेत्रीय रेलों के उपनगरीय खंडों पर लोकल गाड़ी सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनारक्षित सीटें निर्धारित करना।**

iv. **वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों अथवा गर्भवती महिलाओं (जिन्हें मध्य/ऊपरी बर्थ आबंटित की गई है) को प्राथमिकता के आधार पर गाड़ियों में खाली निचली सीट आबंटित करना।**

v. **मांग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल के विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केन्द्रों पर अलग काउंटर निर्धारित करना।**

vi. **स्टेशनों पर व्हील चेयरों की व्यवस्था करना।**

vii. **वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों), बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ स्टेशनों पर बैटरी चालित वाहनों (बीओवी) की व्यवस्था।**

viii. विभिन्न स्टेशनों पर रैंप, लिफ्टों, एस्केलेटरों, संकेतकों, 'क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं' बूथ आदि की व्यवस्था।

उपर्युक्त के अलावा, भारतीय रेल द्वारा रैंपों, सुगम्य पार्किंग, लिफ्टों, एस्केलेटरों और अन्य सुविधाओं के साथ कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार लाने की निरंतर परिकल्पना की जाती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं सहित स्टेशनों पर विभिन्न यात्री सुविधाओं की व्यवस्था/उन्नयन एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस संबंध में कार्य योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत यात्री सुविधा संबंधी कार्यों सहित आवश्यकता और निधि की उपलब्धता के अनुसार किए जाते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए योजना शीर्ष-53 के तहत कुल 15,510.75 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

भारतीय रेल द्वारा समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और वर्ष 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। यह रेलों पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली औसतन 46% की रियायत के समान है। दूसरे शब्दों में आसानी से समझने के लिए, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए होती है, तो टिकट की कीमत केवल 54 रुपए है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को दी जाती है। इसके अलावा, इस सब्सिडी राशि से अधिक रियायतें कई कोटियों जैसे दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) की 4 कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और छात्रों की 8 कोटियों को दी जा रही हैं।

*****